(181)

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा

पत्रांकः—एसएसपी—47 / पीएमएस / 2019 / 71 — नवम्बरः 14, 2019

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिजर्व पुलिस लाइन्स, आगरा, गाटा संख्या 1520 में कुल 53670 वर्ग मीटर भूमि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा पुलिस विभाग को सरकारी कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई है। इस भूमि में से कुल 10117 वर्ग मीटर भूमि पुलिस मॉडर्न स्कूल, रिजर्व पुलिस लाइन्स, आगरा के संचालन हेतु विद्यालय की प्रबन्ध समिति को उपलब्ध कराई गई है। इस प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा एवं सचिव, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रोटोकॉल) पदेन है। विद्यालय की भूमि के पूर्व में पुलिस आवास मय सड़क, पश्चिम में रेलवे लाइन, उत्तर में पुलिस कर्मचारियों के आवास मय सड़क तथा दक्षिण में पुलिस अधिकारियों के आवास मय सड़क स्थित है। इस भूखण्ड के प्रयोजन का पूर्ण अधिकार स्कूल की प्रबन्ध समिति को प्राप्त है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/प्रबन्धक
पुलिस मॉडर्न स्कूल,
रिजर्व पुलिस लाइन्स,
आगरा।

Desktop/Permission 2017

(172)

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
तहसील सदर,
आगरा।

पत्रांक–शि0स0(1)/सी0बी0एस0ई0/ 6643 /2019–20 दिनांक– 08-11-2019

विषयः– पुलिस मॉडर्न स्कूल,रिजर्व पुलिस लाइंस (आगरा) की सी0बी0एस0ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु भूमि सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा के पत्र संख्या– 7162 –64/2019–20 दिनांक– 07.11.2019 के माध्यम से पुलिस मॉडर्न स्कूल,रिजर्व पुलिस लाइंस (आगरा) की सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु पत्रावली अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुई है, जो विद्यालय की भूमि/भवन की जॉच कर सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध आपको अवगत् कराना है कि भूमि प्रकरणों पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर वांछित अभिलेखों की पूर्ण जांच कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. बैनामा में निर्दिष्ट भू स्वामी का सत्यापन भू अभिलेखों से (खतौनी दाखिला खारिज) से वांछित है।
2. 16 सफाखाना पुलिस लाइन खसरा संख्या–1524 में विद्यालय के नाम कुल कितनी भूमि है वर्गमीटर में अंकित करे। मौ0 भोगीपुरा की तहसील सदर द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।
3. विद्यालय भवन(निर्मित) की भूमि का स्वामित्व तथा उक्त भूमि से सम्बद्ध अन्य सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण अंकित किया जाए।
4. उक्त भूमि/भवन राजस्व अभिलेखों में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थिति है अथवा शहरी क्षेत्र में।
5. विद्यालय का भवन जिस 16 सफाखाना पुलिस लाइन खसरा संख्या–1524 में विद्यालय के नाम कुल कितनी भूमि है वर्गमीटर में अंकित करे। मौ0 भोगीपुरा की तहसील सदर पर बैनामा में दर्शाया गया है उसी गाटा संख्या में बना है अथवा नही।
6. **विद्यालय भवन एवं क्रीड़ा स्थल एक ही चाहरदीवारी में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।**
7. **संस्था के नाम कुल भूमि में से विद्यालय भवन एवं कीडा स्थल का क्षेत्रफल अलग–अलग अंकित करने का कष्ट करें।**
8. विद्यालय की भूमि की बैनामा की छाया प्रति तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कराकर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– बैनामा की छायाप्रति।

भवदीय

जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा।